अधि० वादी / प्रार्थी उप०। आदिनांक तक तामिल लौटकर नहीं आई है। तामिल पुनः पेश करें व आगामी तारीख पेशी तक रजिस्ट्रड [illegible] रसीद पेश करें। पालना के अभाव में वाद-पत्र / प्रा० पत्र खारिज कर दिया जायेगा। पत्रावली वास्ते रजि० रसीद दिनांक 20/5/17 को पेश हो।

17/5 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी / प्रार्थी को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी पेशी से पूर्व तामिल से शेष प्रतिवादी / अप्रार्थी के रजि० [illegible] नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी पेशी पर आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत वाद / प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जायेगा। आज दिनांक तक उक्त रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये है, इससे स्पष्ट है कि वादी / प्रार्थी अपने वाद / प्रार्थना पत्र के प्रति गंभीर नहीं है। फलस्वरूप वाद वादी / प्रार्थना पत्र प्रार्थी का आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार नं. से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]